न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 178/2017 **दायर दिनांकः 14/12/2017**

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण आयु 50 वर्ष पुत्र मूलचन्द जाति धाकड़ निवासी कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. तोलाराम पुत्र प्रताप जाति नाई निवासी कटावर पो0 कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. दिलखुश पत्नी जादूराम जाति धाकड़ निवासी कटावर पो0 कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

अप्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन प्रतिवादी कम 2

निर्णय दिनाकः 19/12/2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल कटावर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 233 का ख0न0 145/896 का रकबा 0.44 है0, ख0न0 163 का रकबा 1.02 है0, ख0न0 208 का रकबा 0.13 है0, ख0न0 440 का रकबा 2.53 है0, ख0न0 673/887 का रकबा 0.01 है0, ख0न0 731 का रकबा 0.30 है0, ख0न0 736 का रकबा 0.32 है0, ख0न0 830 का रकबा 1.10 है0 कुल किता 8 का रकबा 5.85 है0 आराजी प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता चली आ रही हैं। प्रार्थना पत्र के साथ नकल नवीन जमाबन्दी प्रार्थी, नक्शा ट्रेश एवं नजरी नक्शा पेश हैं। जो काबिल गोर हैं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेत लगवा हैं। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ख0न0 440 का रकबा 2.53 है0

आराजी भी शामिल हैं। उक्त ख0न0 440 पर आने–जाने का स्थाई रास्ता अप्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 87 का ख0न0 423 का रकबा 1.70 है0 की मेढ पर होकर हैं उक्त रास्ते में ग्रेवल सड़क 10 फीट चौड़ी बनी हुई हैं परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण प्रार्थी को रास्ते में से निकलने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तथा रास्ते को पत्थर ड़ालकर अवरूद्ध कर दिया जबकि यह रास्ता पुराने समय से बना हुआ हैं। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थीगण को उनके द्वारा किये जा रहे हैं अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही हैं अगर अप्रार्थीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी अपने स्वामित्व की आराजी पर आने–जाने से वंचित हो जावेंगा। जिससे प्रार्थी समय पर अपने खेत को नही हंकवा सकेंगा, सिंचाई नहीं कर सकेंगा तथा आराजी पड़त रह जावेगी तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थी को अनेक परेशानियों का सामना करना पडेगा। जिसके फलस्वरूप प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं हैं तथा प्रार्थी को अनेकानेक वाद–विवादों में उलझना पड़ेगा। अत :प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता हैं कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को आराजी पर आने जाने हेतु खाता संख्या 87 का ख0न0 423 का रकबा 1.70 है0 की मेढ़ पर ए से बी अंको से प्रदर्शित स्थाई रास्ता 10 फुट चौड़ाई में रखे तथा प्रार्थी को उसके खेत पर पूर्व की भांति आने जाने का रास्ता ए से बी के उपयोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाले। विवादग्रस्त रास्ता एवं आराजी वाके ग्राम एवं माल कटावर तहसील अटरू जिला बारां में स्थित हैं जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को ग्राम कटावर में उसके स्वामित्व की आराजी ख0न0 440 पर आने–जाने का स्थाई रास्ता 10 फुट चौडा रास्ता अप्रार्थीगण के ख0न0 423 की मेढ़ जहाँ पर ग्रेवल रास्ता बना हुआ हैं पर होकर दिलाया जावें । रास्ते को संलग्न नक्शे में ''ए से बी'' मार्क से प्रदर्शित किया गया हैं। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में उक्त रास्ता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार अटरू को प्रदान करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी कम 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात किसके खाते की है अप्रार्थिया कम 2 को जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 2 जिस तरह से दर्ज किया है स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रार्थी के खाते की आराजी ख0नं0 440 का रकबा 2.53 है0 पर आने जाने का स्थायी रास्ता अप्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 87 का रकबा 423 का रकबा 1.70 है0 की मेड पर होकर अभी भी नहीं रहा है जहां पर होकर प्रार्थी ने रास्ते के रूप में अपने जीवनकाल में कभी भी नहीं किया है बल्कि प्रार्थी अपने गांव कटावर मुख्य सडक से माल कटावर एवं नहर की तरु रास्ता जाता है उस रास्ते का प्रार्थी अपने खेत पर आने जाने के लिये हमेशा से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है लेकिन प्रार्थी सीधा अप्रार्थिया कम 2 के खेत में होकर निकलना चाहता है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 3 का विवरण स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रार्थी को अप्रार्थीया कम 2 के खेत में होकर निकलने का कोई अधिकार नहीं हे जहा पर प्रार्थी रास्ता तथा ग्रेवल सडक बता रहा है वह स्वयं अप्रार्थीया कम 2 ने अपने खेत पर आने जाने के लिये स्वयं के खर्चे से स्वयं की सुविधा के लिये बनाई गई है, प्रार्थी की सुविधा के लिए नहीं बनाइ है। अप्रार्थी कम 2 द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैधानिक कृत्य नहीं किया है बल्कि प्रार्थी स्वयं दादागिरी करके अप्रार्थिया कम 2 को नुकसान पहंचना चाहता है इस वजह से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया कम 2 के विरूद्ध झूठे तथ्यों पर उक्त उनवान का प्रार्थना पत्र पेश किया गया हे जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 4 का विवरण जिस तरह से दर्ज किया गया है वह स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रार्थी जहां होकर रास्ता बता रहा है वह प्रार्थी का अपने खेत पर आने जाने का कभी भी रास्ता नहीं रहा हे इस वजह से रास्ता कोई विवादित नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 5 का विवरण स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 6 कानूनी है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 7 का जवाब बवक्त बहस मौखिक दिया जावेगा। अतः माननीय में अप्रार्थिया कम 2 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 खारिज फरमाया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी कम 2 दिलखुश पत्नि जादूराम द्वारा प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प कटावर में प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी लक्ष्मीनारायण पुत्र मूलचन्द जाति

धाकड निवासी कटावर द्वारा अप्रार्थी क्रम 2 की आराजी में होकर रास्ता चाहा गया है जिसका प्रकरण न्यायालय में लंबित है। आगे कथन किया कि रास्ता डी.एल.सी. दर से राशि वसूल कर अप्रार्थी क्रम 2 को राशि दी जाती है तो मैं अपनी भूमि रास्ते हेतु दे सकती हूॅ। बिना राशि के रास्ता देने को तैयार नहीं हूॅ।

3. साक्ष्यवादी के तहत Pw1 लक्ष्मीनारायण पुत्र मूलचन्द जाति धाकड निवासी कटावर तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया तथा सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने सशपथ बयान किया कि ग्राम एवं माल कटावर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 233 का ख0न0 145/896 का रकबा 0.44 है0, ख0न0 163 का रकबा 1.02 है0, ख0न0 208 का रकबा 0.13 है0, ख0न0 440 का रकबा 2.53 है0, ख0न0 673/887 का रकबा 0.01 है0, ख0न0 731 का रकबा 0.30 है0, ख0न0 736 का रकबा 0.32 है0, ख0न0 830 का रकबा 1.10 है0 कुल किता 8 का रकबा 5.85 है0 आराजी मेरे व अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता चली आ रही है। मेरा व अप्रार्थीगण के खेत के लगवा मेरे स्वामित्व की आराजी ख0नं0 440 का रकबा 2.53 है0 आराजी पर आने जाने का का स्थाई रास्ता अप्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 87 का ख0नं0 423 का रकबा 1.70 है0 की मे पर होकर है। प्रार्थी की आराजी पर आने जाने हेतु अप्रार्थी के ख0नं0 432 का रकबा 1.70 है0 की भूमि से होकर 12 फीट चौडा रास्ता दिलवाया जावे। अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 2 श्री मोहनलाल सुमन द्वारा जिरह की गई।

Pw2 शिवप्रसाद पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी कटावर तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी ने सशपथ बयान किया कि मैं लक्ष्मीनारायण व तोलाराम को जानता हूॅ यह हमारे गांव के रहने वाले हे इनकी आराजी को मेने देख रखा है। इनकी आराजी के पास मे ही मेरा खेत है जिस पर मैं आता जाता रहता हूॅ। लक्ष्मीनारायण के खेत लगवा है। लक्ष्मीनारायण के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 440 का रकबा 2.53 है0 आराजी पर आने जाने का स्थाई रास्ता अप्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 87 का ख0नं0 423 का रकबा 1.70 है0 की मेढ पर होकर हे उकत रास्ते में ग्रेवल सडक 12 फीट चौडी बनी हुई है परन्तु राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण लक्ष्मीनारायण को रास्ते में से निकलने में व्यवधान उत्पन्न करते है तथा रास्ते को पत्थर डालकर अवरूद्ध कर दिया जबकि यह रास्ता पुराने समय से बना हुआ है। लक्ष्मीनारायण को खेत पर जाने हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

4. तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम कटावर की आराजी ख0नं0 440 रकबा 2.53 है0, ख0नं0 423 रकबा 1.70 है0 भूमि का मौका देखा गया। ख0नं0 440 रकबा 2.53 है0 है भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड मूलचन्द पुत्र प्रभूलाल, लक्ष्मीनारायण , घनश्याम, राजेन्द्र कुमार, भोजराज पुत्र मूलचन्द कोम धाकड सा. कटावर व ख0नं0 423 रकबा 1.70 है0 भूमि तोलाराम पुत्र प्रताप हिस्सा 1/2 जाति नाई दिलखुशबाई पत्नि जादुराम कोम धाकड हिस्सा 1/2 दर्ज है। ख0नं0 440 पर आने जाने के लिए काश्तकार अपने खेत पर ख0नं0 423 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे ख0नं0 423 के करीब 10 फीट चौडाई व 409 फीट लम्बा रास्ता मौके पर है जिस पर होकर अपने खेत ख0नं0 440 पर आते जाते है। मौके पर रास्ते में ग्रेवल डला हुआ है जो ख0नं0 440 के खातेदारों द्वारा डाला गया है।

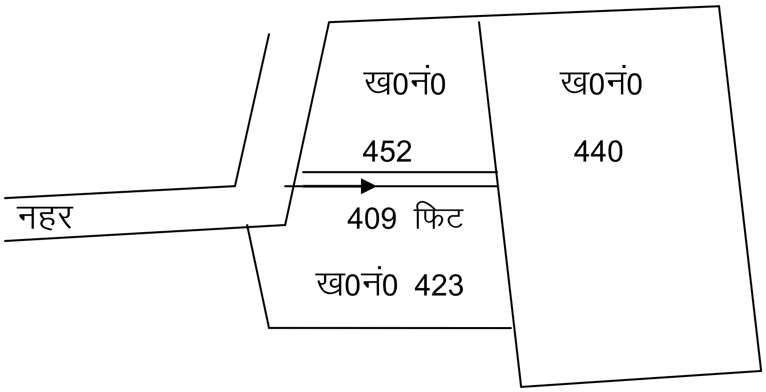

5. अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि प्रार्थी को ग्राम कटावर की आराजी ख0नं0 440 रकबा 2.53 है0 तक पहुंच हेतु कोई रिकोर्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी वर्षो से ख0नं0 423 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे आपसी सहमती से गुजरते आये है लेकिन विगत कुछ समय से अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते में व्यवधान उत्पन्न किये जा रहे है। अतः नया रिकार्डेड रास्ता लेना प्रार्थी की absolute आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थी के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रिकोर्डेड रास्ता नहीं है और नया रास्ता नहीं दिया तो प्रार्थी का खेत पडत रह जायेगा जिससे प्रार्थी के परिवार के पालन पोषण मुश्किल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार प्रस्तावित रास्ता लघूत्तम रास्ता है। अभिभाषक प्रार्थी

द्वारा आगे तर्क किया कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि का DLC दरो से दुगुनी दरो पर भुगतान करने के लिए तैयार है।

6. अभिभाषकगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कटावर की प्रस्तुत जमाबंदी सवंत 2070–73 के खाता संख्या 233 की किता 8 रकबा 5.85 है0 आराजी में प्रार्थी का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। जमाबंदी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 244 की किता 8 रकबा 5.85 है0 आराजी में प्रार्थी का हिस्सा 1/5 पर सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता संख्या 87 के ख0नं0 423 रकबा 1.70 है0 भूमि अप्रार्थीगण के खाते दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में मूल ख0नं0 423 का खाता विभाजन हो चुका है जिसके नवीन ख0नं0 1056/423 रकबा 0.85 है0 अप्रार्थी क्रम 1 तोलाराम के खाते दर्ज है एवं ख0नं0 1057/423 रकबा 0.85 है0 अप्रार्थी क्रम 2 दिलखुश बाई के खाते दर्ज हो चुका है। अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा प्रशासन गावों के संग शिविर स्थल कटावर में सहमति देकर डीएलसी0 को दुगुनी राशि वसूलने का निवेदन किया था। अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा भी बहस के दौरान ख0नं0 1057/423 रकबा 0.85 है0 आराजी में से रास्ता दिये जाने पर सहमति दी है।

(I) **<u>वैकल्पिक रास्ता नहीं होना</u>**– प्रार्थी को अपने खातेदारी की कृषि आराजी ख0नं0 440 तक पहुंच हेतु वर्तमान में कोई भी रिकार्डेड रास्ता विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।

(II) **<u>नितान्त आवश्यकता होनाः–</u>** प्रार्थी के खेत तक पहुंचने और कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के लिए पहुंच मार्ग/रास्ते की नितान्त आवश्यकता है अन्यथा रास्ते के अभाव में और अप्रर्थीगण द्वारा प्रचलित रास्ते को बन्द कर दिये जाने की स्थिति में प्रार्थी की भूमि पडत रह जायेगी।

(III) **<u>सबसे लघुतम रास्ता होनाः–</u>** प्रार्थी के खेत ख0नं0 440 तक पहुंच हेतु रास्ता ख0नं0 1057/423 में होकर रास्ता दिया जावे तो तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार रास्ते की लंबाई 409 फिट होगी ।

(IV) **<u>डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः</u>**–प्रार्थी, अप्रार्थी क्रम 2 के ख0नं0 1057/423 की उत्तरी मेड से होकर दिये जाने वाले 409 फिट लम्बे एवं 10

फिट चौडे रास्ते हेतु उपयोग आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दरों से दुगनी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है।

7. अतः प्रार्थी द्वारा डीएलसी. की दुगुनी राशि जमा कराने की सहमति के आधार पर ग्राम ग्राम कटावर की आराजी ख0नं0 440 रकबा 2.53 है0 तक आने जाने हेतु अप्रार्थी क्रम 2 के ख0नं0 1057/423 की उत्तरी मेड से होकर तहसीलदार अटरू द्वारा पेश नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता दिया जाना न्यायोचित होगा।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के स्वामित्व सहखातेदारी की आराजी ग्राम कटावर की आराजी ख0नं0 440 रकबा 2.53 है0 तक आने–जाने हेतु तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कटावर की आराजी ख0नं0 1057/423 रकबा 0.85 है0 की उत्तरी मेड के सहारे 3.10 मीटर चौडा एवं 125 मीटर लम्बा यानी 387.5 वर्ग मीटर यानी 0.04 है0 भूमि की **DLC** दर की दुगनी राशि अप्रार्थी क्रम 2 दिलखुश पत्नी जादूराम जाति धाकड को दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां